राजस्थान सरकार
गृह विभाग

क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 पार्ट   जयपुर दिनांक 01.04.2020

पुलिस आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,

विषय :– लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न धर्मो के त्योहार, जयन्ति आदि के अवसर पर धार्मिक सभाओं, जुलूस व झाकियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 14.04.2020 तक लॉकडाउन प्रभावी है।

माह अप्रैल, 2020 में राज्य में विभिन्न धर्मो के त्योहार, जयंती व पर्व आदि मनाये जायेगे। जैसे कि:–

1. दिनांक 02.04.2020 को रामनवमी।
2. दिनांक 06.04.2020 को महावीर जयंती।
3. दिनांक 08.04.2020 को हनुमान जयंती।

लॉकडाउन के प्रभावी होने के कारण धार्मिक सभा एवं जुलूस, शोभायात्रा व झाकियों पर भी पूर्णतः प्रतिबन्ध है।

अतः लॉकडाउन की अवधि में धार्मिक सभाओं, जुलूस आदि को अनुमत नहीं किया जावे एवं पूर्ण प्रतिबन्ध की कडाई से पालना सुनिश्चित की जाये।

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–
1. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक पुलिस रेंज।
4. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव 1/4/2020